प्रकरण संख्या 26/2018 श्रीमती ईटली बनाम दुदा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण लखजी की पुत्रियां होकर गांव कुण्डा में वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की पैतक कृषि आराजी नंबर 60, 187, 200, 201, 203, 214, 242/229, 274/213, 275/215 कुल किता 9 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के वादीगण के पिता लखजी एक मात्र खातेदार होकर काबिज थे एवं वर्तमान में वादीगण काबिज हैं। उक्त आराजियात के हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है, जो वादीगण के हितों के विपरीत होकर विधि विरूद्ध है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा है, वादीगण ही काबिज होकर कमा रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया जावे। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा एवं प्रतिवाद प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा विवादित भूमियां विधिवत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना बताया तथा वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 4 तनकियात की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.05.2014 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 05.01.2018 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 व 6 की ओर से वकील श्री मुकेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण द्वारा निर्णय दिनांक 29.05.2014 के विरूद्ध अपील दिनांक 18.07.2014 को प्रस्तुत कर दी गयी थी, परन्तु उक्त प्रकरण की पत्रावली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और न ही तारीख पेशी का पता चल रहा है। इसलिए पुनः अपील में अपील प्रस्तुत की है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन कर जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 26/2018 श्रीमती ईटली बनाम दुदा

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने तनकी नंबर 1 व 2 को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबिक कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियों का साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया। तनकी नंबर 3 जिसे रेस्पोन्डेन्ट को साबित करानी थी, उसे साबिक कराने हेतु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस कारण उक्त तनकी का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध किया गया है, इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 व 2 में विवादित आराजियात लखजी के नाम दर्ज है एवं यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट/वादीगण लखजी की पुत्रियां हैं इसी कारण नामान्तरकरण संख्या 5 उनके पक्ष में स्वीकृत हुआ है एवं उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ है, जो प्रदर्श 3 व 4 से स्पष्ट है। उक्त तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने तनकी नंबर 1 के विवेचन में माना है, किन्तु अपीलान्ट/वादीगण को समस्त भूमियों पर काबिज नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि मात्र कब्जा नहीं होने के आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं, वह भी उस स्थिति में जब रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण की ओर से इस बाबत् कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं अपीलान्ट/वादीगण अपना कब्जा बताते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कब्जे बाबत् पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर